न्यायालय,समाहर्त्ता,अररिया

अधिहरण वाद संख्या-377/2020
अंदर धारा-58 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016

सरकार
बनाम
सुरेश दास, पिता-जामिली दास,
सा0-कोशकापुर, पो0+थाना-फुलकाहा
जिला-अररिया...विपक्षी

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
01.04.2021	इस वाद की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक, अररिया के प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक 3790/हि0शा0, दिनांक 18.12.2019) के आलोक में फुलकाहा थाना कांड सं0-54/2018, दिनांक- 27.03.2018, धारा-30(क)/36/38 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 में जब्त हीरो साईकल को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-58 के अंतर्गत राजसात करने हेतु विपक्षी के विरूद्ध प्रारम्भ की गई। विपक्षी को कारण-पृच्छा दाखिल करने हेतु सूचना निर्गत की गई। सूचना का तामिला प्रतिवेदन अभिलेखबद्ध है। सूचना प्राप्ति के बावजूद विपक्षी उपस्थित नहीं हुये। विपक्षी (साईकिल मालिक) को हर्जाना मो0-50/-रू0 अधिरोपित करते हुए अंतिम मौका भी दिया जा चुका है। बावजूद विपक्षी की ओर से कोई समुचित पैरवी नहीं है। स्पष्ट है कि विपक्षी को इस वाद में कोई रूचि नहीं है। (2) विपक्षी की अनुपस्थिति में सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया श्री रामानंद मंडल को सुना। पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक 3790/हि0शा0, दिनांक 18.12.2019) तथा संलग्न अन्य कागजातों का अवलोकन किया। (3) सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया का कहना है कि सहायक उप निरीक्षक/सा0 अजमेर सिंह, सशस्त्र सीमा बल, 56 वीं वाहिनीं 'जी' समवाय, फुलकाहा सशस्त्र बल के साथ दिनांक 26.03.2018 को समय 19.50 बजे रात्री में नाका के दौरान सीमा स्तम्भ संख्या-188 से 100 मीटर भारत की ओर कोशिकापुर गांव के दक्षिण दिशा में नहर के पुल के पास एक हीरो साईकिल का तलाशी वहाँ उपस्थित दो स्वतंत्र साक्षी-1. सुधीर कुमार यादव, पिता-कपिलदेव यादव, एवं 2. सुशील यादव, पिता-राजो यादव, सा0+पो0-मानिकपुर, थाना-फुलकाहा, जिला-अररिया के समक्ष ली गई। तलाशी के क्रम में साईकिल के हैंडिल में लटके प्लास्टिक से उमंगा देशी शराब 03 बोतल प्रत्येक बोतल 300 मिली लीटर का कुल-1.500 लीटर बरामद किया गया। बरामद शराब एवं साईकिल को विधिवत् जब्ती सूची तैयार कर जब्त किया गया। बिना किसी विधिमान्य अनुज्ञप्ति, परमिट अथवा पास के बिना किसी मादक द्रव्य अथवा शराब का विनिर्माण, कब्जा, क्रय, विक्रय, वितरण, संग्रहण, बोतल बंद, आयात, निर्यात, परिवहन करना अथवा दूर हटाना, शराब का उपभोग आदि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अंतर्गत एक संगीन अपराध है। फलस्वरूप विपक्षी के विरूद्ध फुलकाहा थाना कांड सं0-54/2018, दिनांक-27.03.2018, धारा-30(क)/36/38 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 दर्ज किया गया। विद्वान विशेष लोक अभियोजक का आगे कहना है कि विपक्षी द्वारा अवैध शराब को जब्त साईकिल से परिवहन कर बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 का उल्लंघन किया गया है। उनकी प्रार्थना है कि जब्त साईकिल राजसात होने योग्य है। जब्त साईकिल को राजसात किया जाय।	

अधिहरण वाद संख्या-377/2020

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
01.04.2021	(4) सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया के कथनों एवं तर्कों पर सम्यक् विचार तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन और संलग्न कागजातों के परिशीलन से इस न्यायालय को यह समाधान हो गया है कि विपक्षी द्वारा जब्त साईकिल का उपयोग अवैध शराब को व्यावसायिक उद्देश्य से ढ़ोने में प्रयुक्त किया गया है। जब्त साईकिल का कोई दावेदार नहीं है। जब्त साईकिल बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा-56(ख) के अंतर्गत राजसात होने योग्य है। तदनुसार **फुलकाहा थाना कांड सं0-54/2018, दिनांक-27.03.2018, धारा-30(क)/36/38 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम,2016 में जब्त साईकिल को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-58(2) के अंतर्गत राजसात (Confiscate)** किया जाता है। अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को निदेश दिया जाता है कि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित अधिनियम, 2018) के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया को प्रेषित करें।	

विपक्षी (वाहन मालिक) यदि चाहें तो उक्त आदेश के विरूद्ध बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-92(2) के अंतर्गत उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना के न्यायालय में पारित आदेश के 90 दिनों के भीतर अपील दाखिल कर सकते हैं।

उक्त आदेश/निदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता, अररिया

01/04

समाहर्त्ता, अररिया

ज्ञापांक 1021/विधि, अररिया, दिनांक 8.4.2021.

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को जिला के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

01/04

समाहर्त्ता, अररिया

न्यायालय, जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्ता, अररिया (बिहार)